

सं. डब्ल्यू-11013/13/2014-एनबीए

भारत सरकार

पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय

12वाँ तल, पर्यावरण भवन,
सीजीओ काम्पलैक्स, लोधी रोड़,
नई दिल्ली-110003

दिनांक: 24 अक्टूबर, 2014

सेवा में,

अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव
प्रभारी-ग्रामीण स्वच्छता
सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

विषय: स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) के अंतर्गत बाल स्वच्छता मिशन-संबंधित।
महोदय/महोदया,

कृपया स्वच्छ भारत मिशन के भाग के रूप में बाल स्वच्छता मिशन से संबंधित सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के मुख्य सचिवों/प्रशासकों को सचिव, पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय से प्रेषित अ.शा.पत्र सं. डब्ल्यू-11013/12/2014 दिनांक 14 अक्टूबर, 2014 को देखने का कष्ट करें।

2. उपरोक्त पत्र के क्रम में मुझे स्पष्ट करने का निर्देश हुआ है कि बाल स्वच्छता मिशन के लिए कोई अलग से 'शपथ' विकसित नहीं बनाई जाएगी।
3. राज्य के ग्रामीण स्वच्छता विभाग को बाल स्वच्छता कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए विद्यालय शिक्षा विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के साथ समन्वय स्थापित करना होगा।

भवदीय,

(सरस्वती प्रसाद)

संयुक्त सचिव (एसबीएम-जी)

प्रतिलिपि:

1. सचिव, मानव संसाधन मंत्रालय (विद्यालय, शिक्षा विभाग)
2. सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
3. सचिव, योजना आयोग
4. सचिव, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
5. सचिव, शहरी विकास मंत्रालय